

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़) बजट 2023-2024
<b>ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>						
<b>1. ब्याज प्राप्तियां</b>						
1.01.	राज्य	0049	6236.23	2629.00	9796.07	9796.07
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	315.95	58.00	399.41	50.02
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	39611.35	32165.65	45366.64	36524.03
1.03.01.	घटाइए - व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-24289.66	-16852.65	-30922.56	-21550.00
निवल-ब्याज प्राप्तियां			21873.87	18000.00	24639.56	24820.12
<b>2. लाभांश और लाभ</b>						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	59293.93	40000.00	43000.00	43000.00
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/ अधिशेष लाभ	0050	101352.82	73948.00	40953.33	48000.00
जोड़-लाभांश और लाभ			160646.75	113948.00	83953.33	91000.00
<b>जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>			<b>182520.62</b>	<b>131948.00</b>	<b>108592.89</b>	<b>115820.12</b>
<b>राजकोषीय सेवाएं</b>						
<b>3. राजकोषीय सेवाएं</b>						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	103.82	1210.00	1210.00	1331.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	89.44	86.02	98.83	100.00
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			193.26	1296.02	1308.83	1431.00
<b>जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं</b>			<b>193.26</b>	<b>1296.02</b>	<b>1308.83</b>	<b>1431.00</b>
<b>4. सामान्य सेवाएं</b>						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	91.09	97.00	102.25	102.00
4.01.02.	पुलिस	0055	27635.50	8040.60	11216.10	12286.10
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	5.34	...	...	...
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	8.00	10.72	8.04	8.15
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	554.16	440.02	458.90	490.32
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	4408.86	5850.84	5817.05	6329.34
4.01.07.	जैल्स	0056	...	...	...	...
जोड़-प्रशासनिक सेवाएं			32702.95	14439.18	17602.34	19215.91
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1718.97	2305.14	3154.93	2423.96
4.02.02.	घटाइए - प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			1718.97	1305.14	2154.93	1423.96
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	24923.60	24151.85	26760.82	27078.83
4.03.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-19557.76	-20000.00	-23232.00	-23232.00
4.03.03.	घटाइए - प्राप्तियां	0075	...	...	-72.58	-174.20
निवल-विविध सामान्य सेवाएं			5365.84	4151.85	3456.24	3672.63
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं - सेना	0076	3691.73	4319.31	4559.31	4483.11
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-3691.73	-4319.31	-4559.31	-4483.11
निवल			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	591.53	750.00	1250.00	750.00

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़) बजट 2023-2024
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-591.53	-750.00	-1250.00	-750.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1312.48	1300.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1312.48	-1300.00	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	422.52	0.50	1.00	7.00
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-422.52	-0.50	-1.00	-7.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	378.67	300.00	300.00	300.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-378.67	-300.00	-300.00	-300.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>		...	...	...	...
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		39787.76	19896.17	23213.51	24312.50
	<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>		<b>39787.76</b>	<b>19896.17</b>	<b>23213.51</b>	<b>24312.50</b>
	<b>सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>					
<b>5.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	111.80	192.03	356.18	360.03
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	1646.05	1299.75	2142.62	2183.39
5.03.	परिवार कल्याण	0211	0.99	6.06	20.16	20.16
5.04.	आवास	0216	486.28	334.94	334.34	335.99
5.05.	शहरी विकास	0217	...	...	...	...
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	35.30	33.28	37.07	37.18
5.07.	प्रसारण	0221	1761.25	1035.02	1075.12	975.05
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	85.12	40.77	49.15	45.46
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	3.52	2.96	3.92	4.03
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	630.78	...	...	...
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250	...	...	...	...
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215	...	...	...	...
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		4761.09	2944.81	4018.56	3961.29
	<b>जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>		<b>4761.09</b>	<b>2944.81</b>	<b>4018.56</b>	<b>3961.29</b>
	<b>आर्थिक सेवाएं</b>					
<b>6.</b>	<b>आर्थिक सेवाएं</b>					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	645.70	515.06	736.04	736.49
6.01.02.	पशु पालन	0403	50.08	20.70	50.20	50.90
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	336.49	370.00	375.81	395.00
6.01.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-308.41	-370.00	-335.80	-360.00
	<i>निवल</i>		28.08	...	40.01	35.00
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	4.64	2.26	4.68	4.91
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	75.09	60.51	70.14	80.53
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-3.40	-5.00	-8.00	-10.00
	<i>निवल</i>		71.69	55.51	62.14	70.53
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	671.55	625.00	673.40	673.60
6.01.06.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0408	...	...	...	...
	<i>निवल</i>		671.55	625.00	673.40	673.60
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	199.63	...	5.00	5.25
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.54	23.67	24.20	25.00
6.01.09.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0552	7.68	...	...	...
6.01.10.	सहयोग	0425	...	...	...	...

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़) बजट 2023-2024
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			1700.59	1242.20	1595.67	1601.68
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	22.11	20.00	20.00	30.00
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	282.49	5.00	80.00	160.00
जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			304.60	25.00	100.00	190.00
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	7651.44	4081.97	4653.54	6397.20
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां ईंधन माल सूची	0801	-3833.18	-2561.72	-2488.20	-3339.53
निवल			3818.26	1520.25	2165.34	3057.67
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	20036.64	11889.99	17620.05	24185.00
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	0.25	3200.00	5.40	17.00
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.15	0.06	0.06	0.06
निवल-ऊर्जा			23855.30	16610.30	19790.85	27259.73
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	30.38	43.02	113.22	114.34
6.04.02.	उद्योग	0852	3459.29	4130.14	2972.11	3597.89
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-2211.07	-3861.70	-2710.80	-3339.59
6.04.02.03.	घटाइए - सेक्टर में अन्य प्राप्तियां	0852	-996.99	...	...	...
निवल			251.23	268.44	261.31	258.30
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	924.85	673.00	980.50	1027.09
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	204.00	228.00	275.00	275.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-204.00	-228.00	-275.00	-275.00
निवल			...	...	...	...
निवल-उद्योग और खनिज			1206.46	984.46	1355.03	1399.73
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	371.30	378.00	397.42	405.42
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-356.92	-360.00	-380.00	-380.00
निवल			14.38	18.00	17.42	25.42
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	86.71	162.03	97.51	97.51
6.05.03.	नागर विमानन	1053	234.84	52.85	187.11	184.75
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	14330.00	33310.00	19911.00	21460.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	19.51	...	...	...
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	10860.80	14725.87	12230.41	13439.38
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-10860.80	-14725.87	-12230.41	-13439.38
निवल			...	...	...	...
6.05.08.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
निवल-परिवहन			14685.44	33542.88	20213.04	21767.68
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	85828.07	52806.36	68784.00	89469.17
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	130.03	109.07	125.67	128.12
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1812.96	644.69	3549.13	5363.84
जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			1942.99	753.76	3674.80	5491.96
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	421.05	414.78	439.00	439.00

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़) बजट 2023-2024
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	4827.20	3745.24	3835.52	4044.36
6.08.02.02.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0515	7.93	10.00	10.00	10.00
	जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		4835.13	3755.24	3845.52	4054.36
6.08.03.	पर्यटन	1452	18.28	4.20	3.55	3.55
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.29	0.08	0.21	0.23
	जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं		5274.75	4174.30	4288.28	4497.14
	निवल-आर्थिक सेवाएं		134798.20	110139.26	119801.67	151677.09
<b>7.</b>	<b>रेल राजस्व</b>					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	160.53	400.00	200.00	400.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-160.53	-400.00	-200.00	-400.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	188687.76	237152.87	240929.47	262672.50
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-188687.76	-237152.87	-240929.47	-262672.50
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2518.72	2447.13	1763.30	1927.50
7.03.01.	घटाइए - प्राप्ति	1003	-2518.72	-2447.13	-1763.30	-1927.50
	निवल- रेल राजस्व		...	...	...	...
	जोड़-आर्थिक सेवाएं		134798.20	110139.26	119801.67	151677.09
	सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
<b>8.</b>	<b>सहायता अनुदान और अंशदान</b>					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	33.29	25.40	31.70	30.78
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	1.91	1.07	1.89
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	117.64	114.20	44.15	16.31
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605	1.04	...	...	...
	जोड़-बहुपक्षीय		151.97	141.51	76.92	48.98
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	15.03	41.00	9.61	7.86
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	19.13	181.00	40.41	52.70
8.01.02.03.	जापान	1605	128.10	100.00	40.21	11.90
	जोड़-द्विपक्षीय		162.26	322.00	90.23	72.46
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	862.65	152.80	504.83	815.45
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	19.08	3.69	...	...
	जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय		881.73	156.49	504.83	815.45
	जोड़-विदेश अनुदान सहायता		1195.96	620.00	671.98	936.89
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	110.00	...	1907.84	1198.42
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		1305.96	620.00	2579.82	2135.31
	जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		1305.96	620.00	2579.82	2135.31
	संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व					
<b>9.</b>	<b>संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व</b>	1710	1744.95	2806.81	2235.72	2313.13
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1744.95	2806.81	2235.72	2313.13
	कुल जोड़		365111.84	269651.07	261751.00	301650.44

1.1. राज्य: राज्यों को निर्मोचित ऋणों पर व्याज प्राप्ति में अन्य के साथ - साथ निम्नलिखित व्याज शामिल हैं :

- (क) गैर-योजना (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत अलग अलग समय अवधि में पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को संवितरित ऋण;
- (ख) भिन्न व्याज दरों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को संवितरित पुराने ऋण, जिसके लिए अब एकरूप व्याज दर निर्धारित किया गया है;
- (ग) राज्य योजनागत स्कीमों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित ऋण जिसकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है;

(घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, पुनर्वासन - अन्य देशों से आने वाले देश के नागरिक और संसाधन अंतराल इत्यादि को कवर करने के लिए ऋण आदि शामिल हैं।

**1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) :** संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) को दिए गए ऋणों पर ब्याज

**1.3. अन्य ब्याज प्राप्ति:** "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋणों पर और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज के सम्बन्ध में है। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज शामिल है।

**2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

**3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभारों, के मद में अंशदान, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि से सम्बन्धित हैं।

**4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को द्योतित करती हैं।

**4.01.02. पुलिस:** "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को आपूर्ति किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।

**4.01.03. पूर्ति और निपटान :** "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

**4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से प्राप्त राशियां हैं।

**4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

**4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति रक्षा सेवा कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

**5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

**5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।

**5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।

**5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

**5.06. सूचना और प्रचार प्रसार:** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्ति में रोजगार समाचार और अन्य विज्ञापन से प्राप्ति, फिल्म डिविजन निदेशालय और आउटरीच एंड कॉम्यूनिकेशन ब्यूरो (पहले डीएवीपी) की प्राप्ति शामिल हैं।

**5.07. प्रसारण :** डीटीएच ऑपरेशन, वाणिज्यिक सेवाएं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) और अन्य प्राप्ति से प्राप्त लाइसेंस शुल्क।

**5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

**5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

**6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

**6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

**6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अंतर्गत "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न खंडों से प्राप्त प्राप्ति को गणना में लिया जाता है।

**6.3.01. विद्युत :** 'विद्युत' शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्ति को गणना में लिया जाता है।

**6.03.02. पेट्रोलियम :** (पेट्रोलियम शीर्ष के अंतर्गत अनुमान में ऑफशोर कच्चे तेल और गैस उत्पादन पर रायल्टी के प्राप्त प्राप्ति, निर्दिष्ट क्षेत्र में तेल और गैस के समावेशी अन्वेषण अधिकार के लिए पेट्रोलियम लाभ और लाइसेंस शुल्क।

(क) खनिज पर रॉयल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 समय समय पर यथासंशोधित की धारा 6क द्वारा विनियमित की जाती है। पी एंड एनजी नियामक 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी कच्चे तेल, कंडेनसेट और प्राकृतिक गैस पर देय है। ऑनलैंड क्षेत्र के उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकारों को तथा ऑफशोर क्षेत्र के उत्पादन पर रॉयल्टी केन्द्र सरकार को देय है। किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी दर जिसमें कच्चा तेल शामिल है, तेल क्षेत्र, तेल कुओं का मुहाना, चाहे जो भी मामला हो में खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियम: लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से एक विशेष अवधि में उत्पादित और बचा कर रखे गए लागत में से घटाने पर पेट्रोलियम का कुल मूल्य होता है। इसका परिकलन और सरकार के साथ हिस्सेदारी प्रासंगिक करार/संविदा के निबंधनों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामित क्षेत्रों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं होता है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क: (i) पीईएल शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा क्षेत्र विशेष में तेल और प्राकृतिक गैस का विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए सरकार द्वारा अधिकार दिए जाने के एवज में किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः लाइसेंस के क्षेत्र और उसकी अवधि से संबद्ध रहता है और समय-समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा देय होता है। (ii) अभितट क्षेत्रों के मामले में पीईएलई शुल्क संबंधित राज्य सरकार को जाता है और अपतटीय क्षेत्रों के मामले में यह केंद्र सरकार को जाता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी): पीएपी का अभिप्राय कोयला क्षेत्र मिथेन ब्लॉकों में प्रासंगिक संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को किए जाने वाला भुगतान है।

**6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग:** ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

**6.04.02. उद्योग:** उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

**6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग :** गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

**6.5.04 सड़क और पुल:** शीर्ष सड़क और पुल में राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग के लिए शुल्क और चुंगी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रीकरण से आय प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि, अब से अर्थात् संशोधित अनुमान 2022-23 के बाद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत एमएनएचएफ की आय को दर्शाया जाएगा यह लेखाकरण अपेक्षाओं के कारण होगा।

**6.6.01 अन्य संचार सेवाएं:** अन्य संचार सेवाओं के अधीन प्राप्तियां मुख्य रूप से टेलीकॉम ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियां आती हैं। टेलीकॉम विभाग अपने द्वारा लाइसेंस दिए गए विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। लाइसेंस शुल्क, पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क प्रभारों, रोमिंग प्रभार, जो पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं पर चला जाता है और विक्री कर सेवा कर जो राज्य/केंद्र सरकार को इसके कुल राजस्व के आंकड़े जैसे कि यह कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित होता है जैसे अनुमेय कटौती के बाद समायोजित सकल राजस्व का 8 प्रतिशत लगाया जाता है।

कैपिटल यूज और कैपिटल मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस लाइसेंस के लिए टेलीकॉम नेटवर्क लाइसेंस, यह लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर लगाया जाता है जो टर्मिनलों, चैनलों तथा/या नेटवर्क पूंजी लागत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त नए ऑपरेटरों से एकबारगी प्रवेश शुल्क का संग्रहण भी किया जाता है।

सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों में (i) बुनियादी सेवा (ii) सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (iii) यूनिफाइड एक्सेस सेवा (iv) यूनिफाइड लाइसेंस (v) इंटरनेशनल लॉग डिस्टेंस (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (x) कैपिटल मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनर्विक्री शामिल हैं।

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशतांक हिस्से पर आधारित लाइसेंस शुल्क का संग्रहण किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क की दर, टैरिफ और देश में टेलीकॉम सेवा सेक्टर के विकास पर निर्भर करता है।

यह विभाग वेतार उपकरणों को रखने के लिए भी लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है और विभिन्न कंपनियों से रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु रॉयल्टी का भी संग्रहण करता है। सेवा प्रदाताओं से वसूले गए प्रभार को सामान्यता स्पेक्ट्रम प्रभार कहा जाता है और इसका परिकलन या तो उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किया जाता है या उनके नेटवर्क हेतु दिए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा पर निर्भर करता है या एकसमान दर अथवा फार्मूला के आधार पर किया जाता है।

विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम उपयोग का प्रभार टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वी-सेट आदि) से स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए लगाया जाता है और उनके नेटवर्क के लिए दी गई मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशतांक के रूप में परिकलित किया जाता है।

**6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा विक्री से सम्बन्धित हैं।

**6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान:** अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" की प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

**6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं:** "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

**6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

**7. रेल राजस्व :** प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियां (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका निवल प्रभाव शून्य है।

**9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व :** (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की विक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत आदि से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।